छापामार युद्ध – जंगलों में छिपकर अचानक हमला।

क्षेत्रीय – मुख्यत: राँची तथा सिंहभूमि जिले तक सीमित।
फरवरी 1900 में गिरफ्तारी के बाद शनै: शनै: समाप्ति।

जनजातीय प्रशासन पर प्रभाव –

जनजातियों तथा प्रशासन को एक दूसरे के निकट लाया गया। 1902 में गुमला तथा 1903 में खूँटी को अनुमंडल बनाया गया।

1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना जिसके तहत जनजातियों की जमीन की गैर जनजातियों को बिक्री तथा हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। साथ ही खूँटकटी (सामूहिक काश्तकारी) अधिकारों को लागू कर बेठ बेगारी (बंधुआ मजदूरी) पर रोक लगा दिया गया।